



## JALAUN POLICE

दिनांक – 07.07.2025

श्रीमान पुलिस महानेदेशक ३०प्र० लखनऊ महोदय के निदेशन में ऑपरेशन कान्वेक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानेदेशक कानपुर जान कानपुर एवं पुलिस उपमहानेरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यंवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्दोशत किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल बउनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप ०१ अभियोग में मान० न्यायालय द्वारा ०१ अभियुक्त को ०२ वर्ष के कारावास एवं ५,०००/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**मुकदमे में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –**

**प्रकरण प्रथम –** अभियुक्त शमीम पुत्र नासिर नि० रावतगंज कस्बा व थाना जालौन जनपद जालौन द्वारा गैंग बनाकर समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होना तथा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोतवाली जालौन में मु०अ०सं० ०२/२००९ (वाद संख्या- १२८/२००९) धारा २/३ गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक ०७.०७.२०२५ को मा० न्यायालय एडीजे/एनडीपीएस/जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त शमीम उपरोक्त को दोषी पाते हुये ०२ वर्ष का कारावास एवं ५,०००/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।